तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/8/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक....3/9/25.. को पेश हो।	
3/9/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 18/09/2025 को पेश हो। तब तक T.I. अवधि बढ़ाई जाती है।	
18/9/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीयाँ ने दौराने बहस कथन किया की ख.स. 433/552 पर वादीनी काबिज काश्त है। प्रतिवादी ने खरीद के माध्यम से स्वयं को खातेदार अंकित होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 07/05/2022 की रिपोर्ट मे भी हमारा ही कब्जा काश्त बताया गया है। हम हमारे कब्जे को सुरक्षित करवाने आये है। खण्डन में वकील अप्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या-2 ने खरीद की है। जरिये विक्रय पत्र के खरीद की है। विक्रय पत्र में क्रेता को कब्जा संभलाने का कथन किया है। हम कब्जा प्राप्त करके काबिज काश्त है। इन्होने विवादित भूमि रामलक्ष्मण से खरीद करना अंकित किया है, इस बाबत कोई प्रमाण पेश नही है। पत्रावली पर जांच रिपोर्ट किस प्रोसेस (कार्यवाही) से मगंवाई गई है। इसका प्रकरण मे कानूनी महत्व क्या है। न्यायालय किसी पक्षकार के समर्थन मे भी कब्जे की रिपोर्ट नही मंगा	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	सकता है, केवल मौका स्थिति की रिपोर्ट ली जा सकती है।	
	खण्डन मे वकील प्रार्थीयों ने कथन किया की हमें कभी किसी ने भौतिक रूप से बे दखल नही किया है। हमने भूमि पर बोरवेल लगाया हुआ है। भूमि पर कब्जा होना महत्वपूर्ण है, हमे रामलक्ष्मण ने बेचान की है, तब कब्जा सभंलाने से आज दिन तक भूमि पर मेरा कब्जा काश्त है। जाचं रिपोर्ट कार्यालय द्वारा हमारी भूमि पर जबरन कब्जा करने की इनके द्वारा लगातार कोशिशे करने पर मगंवाई गई है। हमारा ताफैसला वाद भूमि पर कब्जा संरक्षित रखा जावे, ताकि अनावश्यक वाद बाहुलता ना हो। समर्थन मे विनिर्णय :- DNJ (S.C.) 1999 पेज नम्बर → 242 To 245 व DNJ (S.C.) 2004 पेज नम्बर 263 से 269 पेश किये है।	
	वकील प्रार्थीयों के तथ्यों के पुनः खण्डन मे वकील अप्रार्थी ने कथन किया की T.I. निर्णय हेतु निर्धारित बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष मे बनते है। अतः प्रकरण खारिज किया जावे।	
	हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि ख.न. 442/553 अप्रार्थी स. 2 के नाम जर्ये विक्रय पत्र दिनांक → 10/2/2022 को अप्रार्थी स. 1 द्वारा निष्पादित की गई है। जो वर्तमान मे अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज है। वादीनी द्वारा प्रकरण अधिकार घोषणा बाबत पेश किया है, जो कि कब्जा मुस्तकिल फाना के आधार पर किया गया है। वादीनी का अनुतोष का निर्धारण मूल वाद मे साक्ष्योपरान्त किया जाना है। ~~न्या~~ न्यायालय दौराने वाद विचारण विवादित	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
भूमियों को संरक्षित रखना उचित समझता है। ताकि अनावश्यक वाद बाहुलता ना हो। प्रार्थीयों (वादी) का भी यही कथन है, यदि हमे हमारे कब्जे से बेदखल करते है, तो विधिक प्रक्रियानुसार किया जावें; केवल भूमि क्रय कर लेने से विक्रय पत्र के आधार पर हमे हमारे कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीयों द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय जिनमें नियमित वाद की सुनवाई के दौरान कब्जे को संरक्षित रखने बाबत निर्णय दिये गये है। प्रकरण पर पूर्ण चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचनापरान्त दौराने वाद विचारण विवादित भूमि को संरक्षित रखे जाने हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक- 28/03/2022 को जारी किया गया स्थगन आदेश ताफैसला वाद "कन्फर्म" (confirm) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	